बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक 02/4/13
संख्या–7 / स्था01–3–01 / 2010 सा0प्र0– 5469 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1051 का संशोधन करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(i) यह नियमावली बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम–5 के खंड (ग) के उपखंड (i), (ii) एवं (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

(i) परिशिष्ट– 'क' में यथाइंगित उपयुक्तता पारामीटरों के अध्यधीन 65 प्रतिशत पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) की प्रोन्नति से मेधा–सह–वरीयता के सिद्धांत पर भरे जायेंगे।

(ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित, तीन वर्षों से अन्यून सेवा वाले असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के बीच से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा के आधार पर 10 प्रतिशत पद भरे जायेंगे। परिशिष्ट– 'ख' में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परीक्षा के अनुसार चयन किया जायेगा।

(iii) शेष 25 प्रतिशत पद पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्त्ती द्वारा, उच्च न्यायालय, पटना के विनिश्चय / निदेश के अनुसार आयोजित लिखित एवं मौखिक जाँच के आधार पर भरे जायेंगे। उच्च न्यायालय अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण के विचार से स्क्रीनींग टेस्ट आयोजित करने हेतु विनिश्चय कर सकेगा। स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक लिखित जाँच में शामिल होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु प्रासंगिक होगा। ऐसा अंक अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण के लिए परिगणित नहीं किया जायेगा। स्क्रीनींग टेस्ट, यदि आयोजित होता है तो, स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर, नियुक्ति के लिए रिक्तियों की लगभग दस–गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित जाँच के लिए बुलाया जायेगा। रिक्तियों की लगभग तीन–गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मौखिक जाँच के लिए बुलाया जायेगा। परिशिष्ट–'ग' में विनिर्दिष्ट व्योरे के अनुसार एवं उच्च न्यायालय, पटना के विनिश्चय / निदेश के अनुसार स्क्रीनींग / लिखित एवं मौखिक जाँच परीक्षा संचालित की जायेगी।

तदनुसार निम्नलिखित परिशिष्ट– 'क', 'ख' एवं 'ग' बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में जोड़े जायेंगे तथा उक्त नियमावली के हिस्से होंगे :–

परिशिष्ट– 'क'

असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पदाधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) संवर्ग में प्रोन्नति हेतु प्राचल (पारामीटर)

---

(1) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) संवर्ग में पदाधिकारी की सेवा तीन वर्ष से कम न हो।

(2) पदाधिकारी के विगत 5 (पाँच) वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि के आधार पर उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा।

(3) कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार विगत पाँच वर्षों में बीस त्रैमासिक अवधि के अन्तर्गत अथवा इसके अनुपात में पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में आठ या उससे अधिक Poor/Capable of Improvement/Fair/Average की प्रविष्टि अंकित न हो, अन्यथा वे प्रोन्नति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

स्वांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जा सकेगा ।

(4) पदाधिकारी को विगत पाँच वर्षों में सामानतया तीन फौजदारी एवं तीन दीवानी मुकदमों में पारित न्याय निर्णय के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित 40 (चालीस) अंकों में से कम से कम 16 (सोलह) अंक अवश्य प्राप्त हो।

(5) प्रोन्नति के लिए 10 (दस) अंकों का एक साक्षात्कार होगा, जिसमें उत्तीर्णता के लिए तीन अंक अर्हक होगा।

(6) संदेह एवं कठिनईयों के निराकरण के निमित्त उच्च न्यायालय, पटना की स्थायी समिति आवश्यक आदेश/निदेश या मार्गदर्शन निर्गत कर सकेगी ।

(7) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, समय–समय पर, परिशिष्ट–'क' में अन्तर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों में किसी शिथिलिकरण अथवा छूट सबंधी संशोधन कर सकेगी ।

परिशिष्ट– 'ख'

(1) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के पूर्व रिक्तियों की संख्या एवं योग्य पदाधिकारियों की सूची को उच्च न्यायालय, पटना के चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति के अनुमोदनोपरांत उसे संबंधित वर्ष के 30 अप्रैल तक उक्त परीक्षा के लिए उनके विकल्प एवं आवेदन पत्र प्राप्ति के निमित इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से सभी योग्य पदाधिकारियों को परिचारित किया जायेगा।

(2) (a) वैसे पदाधिकारी, जिनका विगत पाँच वर्षों का चारित्री प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ संतोषजनक नहीं पाया जाता हो, योग्य पदाधिकारियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(b) वैसे पदाधिकारी जिनके विरूद्ध प्राथमिक जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी मुकदमा लंबित हो, उनकी प्रोन्नति निमित पात्रता अनुशासिनक कार्रवाई की समाप्ति अथवा अपराधिक मुकदमें में अंतिम निर्णय होने तक, स्थिति जो भी हो, के आलोक में निर्णय सील्ड कभर में संधारित की जायेगी।

(3) यह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा उच्च न्यायिक सेवा के स्थायी एवं अस्थायी दोनों पदों के लिए होगी।

(4)(a) उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा न्यायादेश लेखन तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(4) (b) लिखित परीक्षा का पूर्णांक–100 तथा उत्तीर्णांक 40/न्यादेश लेखन का पूर्णांक–60 तथा उत्तीर्णांक–24 तथा साक्षात्कार के पूर्णांक–40 तथा उत्तीर्णांक–10 होंगे।

(5) संदेह एवं कठिनाइयों के निराकरण के निमित्त उच्च न्यायालय, पटना की स्थायी समिति आवश्यक आदेश/निदेश अथवा मार्गदर्शन निर्गत कर सकेगी।

(6) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, समय–समय पर, परिशिष्ठ–'ख' में अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों में किसी शिथिलिकरण अथवा छूट संबंधी संशोधन कर सकेगी

परिशिष्ट–'ग'

पात्रता

अधिवक्ता वर्ग से जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आयोजित किये जाने वाली परीक्षा के आधार पर पात्रता निम्नलिखित होंगे:–

1. विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्ति की तिथि को उम्मीदवार की उम्र 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक एवं 50 (पचास) वर्ष से कम होंगे।

2. उम्मदीवार को एक अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता अधिनियम–1961 के तहत निबंधित होने के लिए भारत के विधिक परिषद् (बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

3. विज्ञापन में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को जिस उम्मीदवार को विधि व्यवसाय में 7 (सात) वर्षों का कार्य अनुभव नहीं होगा, वे ऐसी नियुक्ति के पात्र नहीं समझे जायेंगे।

4. यह सीधी नियुक्तियां बिहार उच्च न्यायिक सेवा के स्थायी एवं अस्थायी दोनों पदों के आलोक में होगी तथा उसकी सारी प्रक्रिया तदनुसार की जायेगी।

5. उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

6. स्कीनिंग टेस्ट का पूर्णांक 300 होगा। स्कीनिंग टेस्ट के लिए निर्धारित 300 (तीन सौ) अंकों में से 150 (एक सौ पचास) या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित रिक्तियों के दस गुणा की संख्या में बुलाया जायेगा।

7. उक्त परीक्षा के लिए 3–3 अंकों के 100 (एक सौ) प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसमें से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1–1 अंक घटा दिये जायेंगे।

8. 300 अंकों के स्कीनिंग टेस्ट में 45% प्रश्न विधि / 20% अंग्रेजी भाषा / 20% गणित के साथ तार्किक / 10% सामान्य ज्ञान एवं 5% प्रश्न कम्प्यूटर विषय से संबंधित होंगे।

स्पष्टीकरण– विधि विषय से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के आलोक में होंगे:–

1. *The Constitution of India;*
2. *The Code of Civil Procedure, 1908;*
3. *The Limitation Act, 1963;*
4. *The Code of Criminal procedure, 1973;*
5. *The Indian Evidence Act, 1872;*
6. *The Transfer of Property Act, 1882;*
7. *The Indian Contract Act, 1872;*
8. *The Specific Relief Act, 1963;*
9. *The Sale of Goods Act, 1930;*
10. *The Indian Partnership Act, 1932;*
11. *The Negotiable Instruments Act, 1881;*
12. *The Arbitration and Conciliation Act, 1996; and*
13. *The Personal Laws (Hindu, Muslim and Christian)."*

9. लिखित परीक्षा के पूर्णांक–250 तथा साक्षात्कार के पूर्णांक–50 होंगे।

स्पष्टीकरण– विधि विषय से संबंधित प्रश्न निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों के आलोक में होंगे:–

1. *The Constitution of India;*
2. *The Code of Civil Procedure, 1908;*
3. *The Limitation Act, 1963;*
4. *The Code of Criminal procedure, 1973;*
5. *The Indian Evidence Act, 1872;*
6. *The Indian Contract Act, 1872;*
7. *The Sale of Goods Act, 1930;*
8. *The Indian Partnership Act, 1932;*
9. *The Specific Relief Act, 1963;*
10. *The Transfer of Property Act, 1882;*
11. *The Negotiable Instruments Act, 1881;*
12. *The Arbitration and Conciliation Act, 1996;*
13. *The Personal Laws (Hindu, Muslim and Christian);*
14. *The Motor Vehicles Act, 1988;*
15. *The Family Courts Act, 1984;*
16. *The Prevention of Corruption Act, 1988; and*
17. *The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989."*

10. लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 250 अंकों में से कम से कम 150 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही साक्षात्कार के पात्र होंगे।

11. साक्षात्कार के लिए निर्धारित 50 अंकों में से कम से कम 10 अंक उम्मीदवार को अवश्य प्राप्त करने होंगे।

नियुक्ति के पूर्व लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही नियुक्ति के योग्य समझे जायेंगे।

13 संदेह एवं कठिनाईयों के निराकरण के निमित्त पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति आवश्यक आदेश/निदेश या मार्गदर्शन निर्गत कर सकेगी ।

14. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, समय–समय पर, परिशिष्ठ–'ग' में अंतर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों में किसी शिथिलिकरण अथवा छूट संबंधी संशोधन कर सकेगी

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/4/13

(विजय मोहन नागपटनी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–3–01/2010सा0प्र0 5469 /पटना–15, दिनांक 03/4/13

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो प्रतियों में) गजट के असाधारण अंक में सूचनार्थ प्रेषित।

2. कृपया अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

03/4/13

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–3–01/2010सा0प्र0 5469 / पटना–15, दिनांक 03/4/13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.4.13

सरकार के अवर सचिव।